

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §
मंगलवार, मार्च 14, 2000/ फाल्गुन 24, 1921 §शक§

संख्या : 74

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उत्तर-पूर्व जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 13-03-2000 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री मतेन अहमद को दिनांक 10-03-2000 को अपराहन 4.45 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 10-03-2000 को अपराहन 5.00 बजे रिहा कर दिया गया।"

एस. के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)

Tuesday, March 14, 2000 / Phalgun 24, 1921 (Saka)

No. 74

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. DCP, North East District, Delhi on 13-03-2000 :-

" I have the honour to inform you that Shri Mateen Ahmad, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police, at 4.45 P.M. on 10.3.2000.

He was released at 5.00 P.M. on the same day i.e. 10-03-2000."

S.K. SHARMA
SECRETARY